न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 14/2020(2020/00024)

अनवान : –

1. मामनचंद पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी करनपुरा तह0 भादरा।

वादी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनियां वादी
पेरोकार राज प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 18/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं 229/44 के खसरा सं 746/159 की 0.759है0 भूमि मामचंद पुत्र जयलाल के नाम दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में वादी का नाम मामचंद वल्द जयलाल दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मामनचंद वल्द जयलाल निवासी करनपुरा है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक एवं अन्य सभी दस्तावेज में मामनचंद पुत्र जयलाल के नाम से ही है। वादी का सभी दस्तावेजों में नाम मामनचंद पुत्र जयलाल ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मामचंद वल्द जयलाल की जगह मामनचंद पुत्र जयलाल करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 1 पेरोकार ने जवाबदावा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:31 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी मे मामनचंद पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी करनपुरा के ब्यान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं 229/44 सवंत 2074–77 प्रदर्श 1 राशनकार्ड चित्रप्रति प्रदर्श 2ए आधार कार्ड चित्रप्रति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

प्रदर्श 3ए पहचान पत्र चित्रप्रति प्रदर्श 4ए पैनकार्ड की चित्रप्रति प्रदर्श 5ए इसके अलावा लाईसेंस पत्नि राजबाला का आधार कार्ड पुत्र की अंकतालिका आदि प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं 229/44 के खसरा सं 746/159 की 0.759है0 भूमि मामचंद पुत्र जयलाल नाम दर्ज है। जिसमें वादी का नाम दर्ज करते समय सवंहन से मामनचंद पुत्र जयलाल की जगह मामचंद पुत्र जयलाल दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम मामनचंद पुत्र जयलाल निवासी करनपुरा है। वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो मामनचंद पुत्र जयलाल नाम से ही है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं 229/44 के खसरा सं 746/159 की 0.759है0 भूमि मामचंद पुत्र जयलाल नाम दर्ज है। उसमें वादी का सही नाम मामचंद पुत्र **जयलाल की जगह मामनचंद पुत्र जयलाल** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:31 IST
Reason: SelfAttested